न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट दोहली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/145/17 निर्णय दिनांक : 19.06.2018

उनवान

1. बनेसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर निवासी कस्बा रामगढ जिला अलवर।

............................वादीगण

बनाम

1. रूद्धार पुत्र हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम बर्डोद
2. मक्खनलाल पुत्र रामसिंह निवासी रमागढ हाल निवासी बर्डोद।
3. जेवीवीएनएल जर्ये सहायक अभियन्ता, रामगढ।
4. कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 748/524 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जबकि असल प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। परन्तु प्रतिवादीगण आपस में साजबाज होकर नाजायज रूप से वादी की खातेदारी की आराजी में से होकर जबरदस्ती 11 हजार केवी विद्युत लाईन निकालने की जुस्तजू में है। जबकि उक्त आराजी बहारदपुर रोड से वाके ग्राम बर्डोद सडक के लिये जो पक्की सडक ज रही है उस पर स्थित है जबकि बर्डोद सडक के तरफ उत्तर की तरफ प्रतिवादी सं0 1 की ढाणी है जिसमें कच्चे पक्के मकान बने हुए है व इसी तरफ प्रतिवादी सं0 2 का खसरा नम्बर बर्डोद की सडक के उत्तर पश्चिम की तरफ खातेदारी की आराजी है अर्थात प्रतिवादीगण को उसी तरफ प्रतिवादीगण को 11 हजार केवी की लाईन निकालनी चाहिए तथा वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में से किसी प्रकार की 11 हजार केवी की लाईन व पोल आदि खडे करने का प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक हांसिल नही है। जबकि प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी में से होकर जबरन 11 हजार केवी की लाईन निकालना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 748/524 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा न करे, वादी की खातेदारी की आराजी में से होकर किसी प्रकार की कोई विद्युत लाईन व पोल वगैराह ना डाले व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। पक्षकारान अनुपस्थित।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06..2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी विवादित आराजी के खातेदार है। वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 748/524 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा न करे, वादी की खातेदारी की आराजी में से होकर किसी प्रकार की कोई विद्युत लाईन व पोल वगैराह ना डाले व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत दोहली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट दोहली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1 / 145 / 17 निर्णय दिनांक : 19.06.2018

उनवान

1. बनेसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर निवासी कस्बा रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. रूद्धार पुत्र हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम बर्डोद
2. मक्खनलाल पुत्र रामसिंह निवासी रमागढ हाल निवासी बर्डोद।
3. जेवीवीएनएल जर्ये सहायक अभियन्ता, रामगढ।
4. कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 748 / 524 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा न करे, वादी की खातेदारी की आराजी में से होकर किसी प्रकार की कोई विद्युत लाईन व पोल वगैराह ना डाले व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)